भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 2658

दिनांक 04 अगस्त, 2026 के लिए उत्तर

एनएलएम-ईडीपी का कार्यान्वयन

2658. श्री ईश्वरस्वामी के.:

श्री के. गोपीनाथः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय पशुधन मिशन-उद्यमिता विकास कार्यक्रम (एनएलएम-ईडीपी) के अंतर्गत कुल कितनी राजसहायता राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार स्वीकृत और संवितरित की गई है;

(ख) क्या ऐसे मामले हैं जहां उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत अनुमोदित लाभार्थियों को प्रारंभिक किस्त जारी होने के बाद राजसहायता की बाद की किस्तें अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एनएलएम-ईडीपी के अंतर्गत 3,843 अनुमोदित परियोजनाओं में से केवल 2,014 परियोजनाओं को ही राजसहायता की पहली किस्त प्राप्त हुई है और केवल 706 परियोजनाओं को ही दूसरी किस्त प्राप्त हुई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो पात्र लाभार्थियों को राजसहायता की शेष किस्तें जारी करने में विलंब के क्या कारण हैं;

(घ) एनएलएम-ईडीपी के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का समय पर सत्यापन, निधि जारी करने और उनकी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए क्या तंत्र मौजूद है;

(ङ) विगत पांच वर्षों के दौरान इस मिशन के अंतर्गत प्रशिक्षित किसानों/उद्यमियों और स्थापित संस्थानों, हैचरी, प्रजनन फार्मों या अन्य अवसंरचना इकाइयों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है; और

(च) कौशल विकास और क्षमता निर्माण सहित राष्ट्रीय पशुधन मिशन का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) से (ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय पशुधन मिशन-उद्यमिता विकास कार्यक्रम (NLM-EDP) के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संस्वीकृत और वितरित सब्सिडी की कुल राशि अनुबंध-I में दी गई है।

इसकी शुरूआत से 4291 परियोजनाओं को अनुमोदन दिया गया है। 2908 आवेदकों को अब तक 478.67 करोड़ रुपये की सब्सिडी की पहली किस्त प्राप्त हुई है और 1364 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जिनके लिए 221.02 करोड़ रुपये की सब्सिडी की दूसरी किस्त जारी की गई है। शेष 1544 परियोजनाओं को अभी तक सब्सिडी की दूसरी किस्त प्राप्त नहीं हुई है क्योंकि इन आवेदकों ने परियोजनाओं को पूरा नहीं किया है। सब्सिडी की दूसरी किस्त जारी करने के लिए परियोजनाओं का पूरा होना पूर्व शर्त है।

(घ) भारत सरकार का पशुपालन और डेयरी विभाग, परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवेदनों की लंबितता (Pendency) की निगरानी के लिए परियोजना अनुमोदन समिति (PAC) की बैठकों के माध्यम से उद्यमिता विकास कार्यक्रम (EDP) के कार्यान्वयन की नियमित रूप से समीक्षा करता है। उच्च अधिकारियों के स्तर पर क्षेत्रीय समीक्षा बैठकें भी आयोजित की जाती हैं, जिसमें योजना के कार्यान्वयन और निष्पादन की निगरानी भी की जाती है। परियोजनाओं को सत्यापित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के मॉनीटरों और राज्य तथा केंद्र के पशुपालन विभाग के विभागीय अधिकारियों द्वारा फील्ड निरीक्षण भी किया जाता है। सभी ऋण देने वाली संस्थाओं के साथ समन्वय करने के लिए और कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग में, केंद्र स्तरीय बैंकर्स समिति (CLBC) की स्थापना की गई है।

(ङ) और (च) पुनर्संरेखित राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM) वर्ष 2021-22 में शुरू किया गया। यह योजना रोजगार सृजन, उद्यमिता विकास और प्रति-पशु उत्पादकता बढ़ाने पर केंद्रित है, ताकि मांस, बकरी के दूध, अंडे और ऊन के उत्पादन में वृद्धि की जा सके। इस योजना को 21 फरवरी 2024 को और संशोधित किया गया था।इसमें ऊंट, घोड़ों और गधों के नस्ल-उन्नयन के साथ-साथ बंजर भूमि, चारागाह और अवक्रमित (डिग्रेडिड) वन भूमि का उपयोग करके चारा उत्पादन संबंधी पहल को जोड़ा गया था। इस योजना में निम्नलिखित तीन उप-मिशन हैं:

(i) पशुधन और पोल्टी नस्ल विकास संबंधी उप-मिशन: इस उप-मिशन में पोल्ट्री, भेड़, बकरी, सूअर, ऊंट, घोड़े और गधे के लिए उद्यमिता विकास की परिकल्पना की गई है। यह भेड़, बकरी, सूअर, ऊंट, घोड़े और गधे के आनुवंशिक सुधार के लिए अवसंरचना की स्थापना में राज्य सरकारों का भी सहयोग करता है।

(ii) पशुआहार और चारा विकास संबंधी उप-मिशन: यह उप-मिशन चारा उत्पादन के लिए आवश्यक गुणवत्ता वाले प्रजनक, फाउंडेशन और प्रमाणित चारा बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता वाले चारा बीजों (प्रजनक, फाउंडेशन और प्रमाणित) के उत्पादन और इसकी आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ाने पर केंद्रित है। यह चारा ब्लॉक, हे बेलिंग और साइलेज निर्माण इकाई की स्थापना को सहायता देकर उद्यमिता को भी बढ़ावा देता है। इसके अलावा, वनीय और गैर-वनीय तथा अवक्रमित भूमि में चारा उत्पादन के लिए राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सहायता प्रदान की जाती है।

(iii) नवाचार और विस्तार संबंधी उप-मिशन: यह उप-मिशन भेड़, बकरी, सूअर और पशु आहार तथा चारा क्षेत्र से संबंधित अनुसंधान और विकास संबंधी संस्थानों, विश्वविद्यालयों और संगठनों की सहायता करता है। यह विभिन्न राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से पशुधन बीमा द्वारा विस्तार कार्यकलापों, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण का भी समर्थन करता है।

राष्ट्रीय पशुधन मिशन - उद्यमिता विकास कार्यक्रम (NLM-EDP) के तहत कुल 4,291 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है। इनमें 3,169 भेड़ और बकरी परियोजनाएं, 568 सूअर पालन परियोजनाएं, 339 ग्रामीण पोल्ट्री परियोजनाएं, 204 पशु आहार और चारा परियोजनाएं, 3 चारा बीज उत्पादन परियोजनाएं, 6 अश्व प्रजनन परियोजनाएं, तथा गधे और ऊंट प्रजनन के लिए एक-एक परियोजना शामिल है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार सूची अनुबंध-।। में है।

इसके अलावा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, असम और राजस्थान राज्यों में भेड़ और बकरी के लिए पांच क्षेत्रीय सीमन केंद्रों को अनुमोदित किया गया है। जम्मू और कश्मीर, मेघालय, पश्चिम बंगाल, असम, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान राज्यों के लिए बकरियों हेतु छह बकरी सीमन बैंकों को भी अनुमोदित किया गया है। इसके अलावा, जम्मू और कश्मीर, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और मेघालय राज्यों में बकरियों के लिए AI सेवाएं प्रदान करने हेतु 6,405 गोपशु और भैंस कृत्रिम गर्भाधान (AI) केंद्रों को उन्नत किया गया है। इसके अलावा, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, असम और तमिलनाडु राज्यों में नौ सूअर सीमन संग्रह और प्रसंस्करण प्रयोगशालाओं को अनुमोदित किया गया है।

जहां तक क्षमता निर्माण और कौशल विकास का संबंध है, पिछले पांच वर्षों, वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत 1,42,144 किसानों को प्रशिक्षित किया गया है।

अनुबंध-I

लोकसभा प्रश्न संख्या: 2658

सांसद का नाम: श्री ईश्वरस्वामी के. और श्री के गोपीनाथ:

उत्तर देने की तारीख: 04.08.2026

पिछले पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय पशुधन मिशन-उद्यमिता विकास कार्यक्रम (NLM-EDP) के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संस्वीकृत और संवितरित सब्सिडी की कुल राशि, निम्नानुसार है:

क्र. सं.	राज्य	अनुमोदित सब्सिडी (करोड़ रुपये में)	कुल जारी सब्सिडी (करोड़ रुपये में)
1	आंध्र प्रदेश	128.21	77.45
2	अरुणाचल प्रदेश	22.05	11.03
3	असम	13.54	4.98
4	बिहार	0.28	0.14
5	छत्तीसगढ़	6.59	3.23
6	गुजरात	4.83	0.3
7	हरियाणा	7.78	2.65
8	हिमाचल प्रदेश	4.94	1.84
9	जम्मू और कश्मीर	4.80	2.27
10	झारखंड	1.00	0.25
11	कर्नाटक	386.22	191.41
12	केरल	6.68	2.87
13	मध्य प्रदेश	174.36	95.1
14	महाराष्ट्र	125.06	56.57
15	मणिपुर	1.65	0
16	मिजोरम	21.32	14.3
17	नागालैंड	20.29	14.47
18	ओडिशा	1.58	0.85
19	पुदुचेरी	0.30	0
20	पंजाब	6.52	3.14
21	राजस्थान	45.76	23.23
22	सिक्किम	3.20	1.14
23	तमिलनाडु	61.18	30.73
24	तेलंगाना	216.28	118.29
25	त्रिपुरा	9.54	4.34
26	उत्तर प्रदेश	63.01	27.61
27	उत्तराखंड	16.18	9.16
28	पश्चिम बंगाल	3.51	2.34
	कुल योग	**1356.66**	**699.69**

अनुबंध-।।

लोकसभा प्रश्न संख्या: 2658

सांसद का नाम: श्री ईश्वरस्वामी के. और श्री के. गोपीनाथ:

उत्तर देने की तारीख: 04.08.2026

NLM-EDP के अंतर्गत निर्मित अवसंरचना की राज्य-वार सूची

क्र. सं.	राज्य	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या								
		पशु आहार और चारा	बीज प्रसंस्करण	घोड़ा	ऊंट	गधा	सूअर पालन	पोल्ट्री	जुगाली करने वाले छोटेपशु	कुल
1	आंध्र प्रदेश	5	1	0	0	0	26	36	262	330
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	66	2	15	83
3	असम	0	0	0	0	0	23	5	22	50
4	बिहार	0	0	0	0	0	0	0	2	2
5	छत्तीसगढ़	1	0	0	0	0	3	2	23	29
6	गुजरात	7	1	0	0	0	0	0	5	13
7	हरियाणा	2	0	0	0	0	4	3	18	27
8	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	1	4	1	15	21
9	जम्मू और कश्मीर	1	0	0	0	0	0	1	25	27
10	झारखंड	1	0	0	0	0	0	0	1	2
11	कर्नाटक	9	0	0	0	0	53	48	1048	1158
12	केरल	0	0	0	0	0	18	4	4	26
13	मध्य प्रदेश	70	0	0	0	0	4	33	400	507
14	महाराष्ट्र	67	1	1	0	0	8	82	279	438
15	मणिपुर	0	0	0	0	0	10	1	0	11
16	मिजोरम	1	0	0	0	0	91	0	2	94
17	नागालैंड	0	0	0	0	0	78	6	11	95
18	ओडिशा	0	0	0	0	0	0	1	3	4
19	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	1	1
20	पंजाब	7	0	0	0	0	2	1	14	24
21	राजस्थान	3	0	5	1	0	12	4	164	189
22	सिक्किम	0	0	0	0	0	9	0	3	12
23	तमिलनाडु	8	0	0	0	0	13	24	169	214
24	तेलंगाना	5	0	0	0	0	9	57	442	513
25	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	24	8	5	37
26	उत्तर प्रदेश	15	0	0	0	0	89	8	173	285
27	उत्तराखंड	1	0	0	0	0	19	12	52	84
28	पश्चिम बंगाल	1	0	0	0	0	3	0	11	15
कुल योग		204	3	6	1	1	568	339	3169	4291